

MOST URGENT

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

क्रमांक:- प. 26(2)AR & C/Gr-1/2009

जयपुर, दिनांक : 06.10.2016

जिला प्रभारी शासन सचिव (समस्त),
विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण (समस्त),
राजस्थान सरकार

विषय: जिला मुख्यालयों पर 'पंचायत शिविरों' के उद्घाटन एवं समीक्षा बैठकों आयोजित करने के संदर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में 'पंचायत शिविरों' का आयोजन किया जा रहा है।

समस्त जिला प्रभारी माननीय मंत्री इन शिविरों का उद्घाटन दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 को अपने प्रभार के जिले में करेंगे, जिसमें प्रभारी सचिव भी उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में अनुरोध है कि दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे समस्त जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एवं जिला प्रभारी सचिव की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें जिले से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की जानी है:-

- | क्र.सं. | बिन्दु |
|---------|---|
| 1. | पंचायत शिविरों की तैयारी |
| 2. | मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन |
| 3. | बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन |
| 4. | सुराज संकल्प बिन्दुओं का क्रियान्वयन |
| 5. | मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का क्रियान्वयन |
| 6. | 'मंत्री समूह' के भ्रमण के निर्देशों की पालना |
| 7. | आपका जिला आपकी सरकार में प्रदत्त निर्देश |
| 8. | जिला कलक्टर सम्मेलन 4-6 मई, '16 के निर्देशों का क्रियान्वयन |
| 9. | प्रभारी सचिव बैठक दिनांक 4-5 जुलाई, '16 के निर्देशों का क्रियान्वयन |

उक्त बैठक में जिले से सम्बन्धित बिन्दुओं को जिला स्तर एवं राज्य स्तर के अनुसार चिन्हित करते हुए उनके लम्बित रहने के कारणों की समीक्षा की जाएगी एवं उन मुद्दों की पहचान भी की जावेगी, जिनका क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा है।


साथ ही बैठक के पश्चात् उक्त बैठक एवं मुद्दों की स्थिति के बारे में प्रभारी सचिव द्वारा 2-3 पृष्ठ का एक नोट, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के हस्ताक्षर सहित, इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें। राज्य स्तर के बिन्दुओं की स्थिति का प्रतिवेदन प्रभारी सचिव सीधे ही सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करते हुए प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

(शक्ति सिंह रावत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रीमण्डल सचिवालय
3. सचिव/ओ.एस.डी.(जी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया
4. शासन सचिव, पंचायती राज
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास
6. संभागीय आयुक्त (समस्त)
7. जिला कलक्टर (समस्त)
8. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
10. रक्षित पत्रावली



(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

email ID :- jsargor@gmail.com